कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, चूरू
Phone No. 01562-250237 E-mail ID: ddaho_churu@yahoo.co.in

क्रमांक :–एफ.वी.( )/लेखा/निलामी/2018–19/9454 दिनांक :–31.08.2018

निलामी सूचना

इस कार्यालय के एवं अधिनस्थ संचालित पशु चिकित्सालयों में नकारा सामान जहां जैसी स्थिति में है, की निलामी की जानी है। इच्छुक बोलिदाता निलामी योग्य सामान एवं निलामी की शर्ते किसी भी कार्य दिवस को निलामी स्थान पर देख सकते है :–

क्र.सं.	क्षैत्र	निलामी स्थान	दिनांक	समय	सामान का पुस्तक मुल्य (रू. में)
1	कार्यालय संयुक्त निदेशक एवं नॉडल क्षैत्र चूरू/ तारानगर/ राजगढ	पॉलीक्लिनिक परिसर, चूरू	20.09.2018	11:00 AM	227722 /-
2	नॉडल क्षैत्र रतनगढ/ सरदारशहर/सुजानगढ/ बीदासर	पशु चिकित्सालय, परिसर, रतनगढ	22.09.2018	11:00 AM	53085 /-

(डॉ. जगदीश प्रसाद शर्मा)
संयुक्त निदेशक

क्रमांक :–एफ.वी.( )/लेखा/निलामी/2018–19/9455-75 दिनांक :–31.08.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, पशुपालन विभाग, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान वित्तीय सलाहकार निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक क्षैत्र पशुपालन विभाग, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम को निलामी कमेटी के सदस्य के रूप में निर्धारित निलामी दिनांक को निलामी स्थान पर भिजवाने हेतु निर्देशित करावें तथा उक्त निलामी सूचना को सूचना पट्ट पर प्रकाशन करवाने का कष्ट करावें।
4. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक क्षैत्र, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर को सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ।
5. श्रीमान उप निदेशक (ए.सी.पी.) कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निलामी सूचना व शर्तो को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करावें।
6. श्रीमान कोषाधिकारी चूरू को प्रेषित कर निवेदन है कि निलामी कमेटी के सदस्य होने के कारण आप अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर निर्धारित दिनांक को भिजवाने का कष्ट करावें।
7. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– प्रथम कार्यालय अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग, बीकानेर को निलामी दिनांक को निर्धारित स्थान पर निलामी कमेटी के सदस्य के रूप में उपस्थित होने बाबत्।
8. उप निदेशक पॉलीक्लिनिक, चूरू को पालनार्थ एवं सूचना पट्ट में प्रकाशनार्थ।
9. प्रभारी नॉडल प्रथम श्रेणी पशु चकित्सालय............................को भेजकर लेख है कि आप अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करें।
10. सूचना पट्ट कार्यालय हाजा प्रकाशनार्थ।

(डॉ. जगदीश प्रसाद शर्मा)
संयुक्त निदेशक

C:\Users\GDGOD\Desktop\Purcases order.doc

कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, चूरू
Phone No. 01562-250237 E-mail ID: ddaho_churu@yahoo.co.in

कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, चूरू के अधिन अनुपयोगी सामान की निलामी के सम्बन्ध में शर्ते :–

1. सामान जिसकी निलामी की जानी है, निलामी स्थान पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
2. निलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को बयाना राशि स्वरूप निलामी योग्य सामान की पुस्तक मुल्य का 02 प्रतिशत अथवा 500/–रू. जो की कम हो, बोली लगाने से पहले जमा करानी होगी।
3. बोली निर्धारित दिनांक को 11:00 AM बजे से शुरू की जायेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता जिसके नाम से बोली छोड़ी जायेगी, बोली की सम्पूर्ण राशि मय जीएसटी के उसी दिन जमा करवानी होगी।
5. सामान उसी दिन उठाना होगा (बोली छोड़े जाने की स्थिति में)
6. निलामी कार्य वाही निरस्त करने/स्थगित करने का सम्पूर्ण अधिकार निर्धारित कमेटी में निहित होगा।
7. बोलीदाता द्वारा बोली लगाने के पश्चात् निर्धारित बोली से मुकुर जाने अथवा निर्धारित शर्तो का उल्लघंन करने पर बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी एवं नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।
8. बोलीदाता जीएसटी पंजीकृत होना आवश्यक है तथा बोली प्रारम्भ से पूर्व पंजीयन करवाना होगा, जिसके लिए उसे निर्धारित बयाना राशि, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की फोटो प्रति स्वःप्रमाणित प्रस्तुत करनी होगी।
9. बोली हेतु पंजीयन करवाने के पश्चात् ही बोली में भाग ले सकते है।
10. अन्य शर्ते जो कमेटी द्वारा निर्धारित की जावेगी, मानी जावेगी।

(डॉ. जगदीश प्रसाद शर्मा)
संयुक्त निदेशक